From

Deputy Commissioner-cum-President,
District Red Cross Society,
Ambala.

To

The District Information Officer,
N.I.C., Ambala.

No. RCA/2017/ 378 dated 20-04-2017.

Subject: **Uploading the Re-Auction Notice for Red Cross Canteen in the premises of Mini Sectt. Naraingarh, Distt. Ambala.**

R/Sir,

The District Red Cross Society, Ambala invites the interested firms/persons for arranging Red Cross Canteen in the premises of Mini Secretariat, Sub Division Naraingarh, Distt. Ambala through auction on the enclosed terms and conditions and auction notice.

You are requested to kindly upload the enclosed auction notice for Red Cross Canteen in the premises of Mini Secretariat, Sub Division Naraingarh, Distt. Ambala alongwith terms and condtions attached in the District Website i.e. www.ambala.gov.in on or before 23-04-2017.

Encls. As above.

Secretary,
For Deputy Commissioner-cum-President,
District Red Cross Society, Ambala.

लघु सचिवालय परिसर, नारायणगढ में स्थित कैंटीन

मार्फत जिला रैडक्रास शाखा, अम्बाला।

नीलामी सूचना

जिला रैडक्रास शाखा अम्बाला द्वारा लघु सचिवालय, नारायणगढ़ के प्रांगण में निर्मित कैन्टीन को मासिक किराए देने के लिए नीलामी दिनांक 04-05-2017 को प्रात: **11.00 बजे** उपमण्डल अधिकारी (ना0), नारायणगढ़ के कार्यालय कक्ष, लघु सचिवालय, नारायणगढ़, जिला अम्बाला के प्रांगण में की जायेगी। इच्छुक पार्टियां/व्यक्ति जिनको कैन्टीन चलाने का अनुभव हो, को अपने पहचान पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र (यदि कोई है) के साथ जमानत राशि मु0 10,000/- रु का बैंक डिमांड ड्राफट जो कि जिला रैडक्रास शाखा अम्बाला के पक्ष में हो अथवा नकद राशि नीलामी में शामिल हेतु जमा करवाने होगें। अन्तिम बोलीदाता को कुल वार्षिक किराए की राशि का 25 प्रतिशत नीलामी उपरांत दो दिन के भीतर जिला रैडकास सोसाईटी, अम्बाला कार्यालय में जमा करवाना होगी। अन्य नियम व शर्ते जिला रैडक्रास कार्यालय अम्बाला के नोटिस बोर्ड वा अम्बाला जिला की website www.ambala.gov.in में देखी जा सकती हैं।

सचिव,
जिला रैडकास सोसाईटी,
अम्बाला।
दूरभाष: 0171-2530556

लघु सचिवालय, नारायणगढ़ के प्रांगण में स्थित कैंटीन मार्फत जिला रैडकास सोसाईटी, शाखा, अम्बाला की नीलामी वा चलाने हेतु नियम वा शर्ते

1. कैन्टीन भवन/ बूथ पर जिला रैडकास शाखा प्रथम पक्ष से सम्बन्धित का नाम लिखा होगा।
2. कैन्टीन प्रात: 8.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक के लिए खुली रहेगी।
3. कैन्टीन की बोली हेतु रिजर्व मूल्य मुबलिग 10,000/- रूपये मासिक (मुबलिग 1,20,000/- वार्षिक) रखा गया है।
4. कैन्टीन नीलामी में हिस्सा लेने हेतु व्यक्तियों/फर्मो के पास वर्तमान कैन्टीन चलाने अनुभव हो।
5. रैडकास कैन्टीन के लिए नीलामी में हिस्सा लेने हेतु मु0 10 हजार रूपये का बैक ड्राफट या नकद जमा करवाना होगा।
6. अन्तिम बोलीदाता वार्षिक किराये की 25 प्रतिशत राशि दो दिन के अन्दर कार्यालय रैडकास सोसाईटी, अम्बाला में जमा करवानी होगी, जो कि अग्रिम राशि के रूप में कार्यालय में जमा रहेगी और अन्तिम महीनों के किराये में समायोजित की जायेगी।
7. यदि अन्तिम बोलीदाता अनुबंधित समयाअवधि से पूर्व बीच में अनुबंध छोड़ कर जाता है, तो कार्यालय द्वारा उसकी जमा वार्षिक अग्रिम किराये की 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जायेगी।
8. अन्तिम बोली दाता वार्षिक किराए की राशि का 25 प्रतिशत नीलामी के दो दिन के अन्दर-2 कार्यालय जिला रैडकास सोसाईटी, अम्बाला में जमा करवाएगा।
9. नीलामी में हिस्सा लेने हेतु व्यक्तियों/फर्मो को अपना पहचान पत्र से सम्बन्धित दस्तावेज लाना जरुरी होगा।
10. यह कि कैन्टीन की ठेका अवधि शुरु में एक वर्ष के लिए होगी, तथा यह अवधि सन्तोषजनक कार्य होने की स्थिती में अगले एक वर्ष तक मासिक किराए में वृद्धि करते हुए बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित होने वाला किराया मासिक रुप से प्रत्येक माह की 10 तारीख से पहले रैडकास कार्यालय प्रथम पक्ष में जमा करवाना होगा। दो माह किराया जमा न कराने की स्थिति में ठेकेदार से यह कैन्टीन/दुकान चलाने की अनुमति रद्द की जा सकती है।
11. कैन्टीन भवन/बूथ अच्छी स्थिति में निर्धारित एक वर्ष की अवधि के बाद खाली करनी होगी तथा जिसका कब्जा स्वत: ही प्रथम पक्ष जिला रैडकास शाखा अम्बाला के नाम होगा।
12. बिजली का कनैक्शन, पानी का कनैक्शन ईन्धन गैस का कनैक्शन, जिला रैडकास शाखा अम्बाला के नाम होगा तथा इन कनैक्शनों पर जो राशि खर्च होगी उसकी अदायगी ठेकेदार स्वयं वहन करेगें तथा अवधि समाप्त होने उपरान्त यह कनैक्शन No Due Certificate के साथ रैडकास कार्यालय जो कि प्रथम पक्ष से सम्बन्धित है, में जमा करवाने होगें।
13. कैन्टीन को चलाने के लिए बिजली पानी व अन्य खर्च जो भी होगें वह ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएगें।
14. कैन्टीन चलाने हेतु स्वास्थ्य विभाग या किसी अन्य विभाग से फुड लाईसैन्स/सेल टैक्स संख्या की आवश्यकता होगी तो वह ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित विभाग से अपने स्तर पर लेने होगा।
15. कैन्टीन सेवाएं जन साधारण के लिए उपलब्ध करनी होगी।
16. कैन्टीन/बूथ में अच्छी गुणवता की खाद्य सामग्री व अन्य सामान की बिकी की अनुमति होगी।
17. आम जनता के लिए नाश्ता, दोपहर का भोजन व अन्य खाद्य सामग्री समुचित मात्रा में व अच्छी गुणवता की उपलब्ध करानी होगी।

18. बिक्री की जाने वाली वस्तुओं की दरें बाजार दरों से अधिक नही होगी व दरों का प्रदर्शन कैन्टीन से बाहर अंकित करना होगा।

19. कैन्टीन तथा इसके आसपास साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करनी होगी।

20. यदि किसी अवस्था में यह पाया जाता है कि कैन्टीन में बेची जाने वाली वस्तुएं अच्छी गुणवता की नहीं है तथा इन खाद्य वस्तुओं से उपयोग होने वालों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो कैन्टीन ठेका अवधि तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी तथा ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी।

21. कैन्टीन भवन में जिला प्रशासन अम्बाला व जिला रैडक्रास शाखा अम्बाला के प्रतिनिधि किसी भी समय बिना सूचित किए निरीक्षण करने हेतु प्रवेश के हकदार होगें।

22. कैंटीन के कर्मचारी बावर्दी होंगें, जिसके उपर नेम प्लेट लगी होगी।

23. Contructed structure के आगे किसी भी प्रकार का सामान रखने की अनुमति नहीं होगी।

24. इस कैन्टीन को चलाने के लिए उपरोक्त नियम व शर्तो में बिना किसी सूचना के अन्य शर्ते जोड़ने तथा बदलाव करने का अधिकार जिला प्रशासन/जिला रैडकास सोसाईटी, अम्बाला को होगा।

25. यदि किसी स्तर पर ऐसा पाया गया कि ठेकेदार उपरोक्त शर्तो व नियमों की अवहेलना कर रहे है तथा इनका व्यवहार जनसाधारण के साथ ठीक नहीं है तो उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडकास शाखा अम्बाला को बिना किसी सूचना के कैन्टीन अवधि को तुरन्त रद्द करने का अधिकार होगा।

26. यह कि यदि किसी प्रकार का कोई झगड़ा या झगडे जैसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति/झगडे को सुलझाने में प्रथम अपीलीय अधिकारी उप मण्डल अधिकारी (ना0), नारायणगढ़ होंगे तथा अंतिम व द्वितिय अपीलीय अधिकारी उपायुक्त, अम्बाला होगें तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को स्वीकार्य होगा। इस अधिकार के तहत उपायुक्त अम्बाला को रैडकास कैन्टीन से सम्बन्धित नियम व शर्तो में बदलाव व अन्य शर्ते जोड़ने का एकाधिकार होगा तथा किसी भी पक्ष को उपायुक्त, अम्बाला के एकाधिकार को चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा।